न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 68/2015

1. रतन लाल उम्र 75 साल पुत्र सुगन, मृतक(हजफ)
2. राजाराम उम्र 45 साल पुत्र रतनलाल
3. गोविन्द उम्र 40 साल पुत्र रतनलाल
4. बहादुर उम्र 42 साल पुत्र रतनलाल
5. निर्भय उम्र 37 साल पुत्र रतनलाल
6. गिजेन्द्र उम्र 45 साल पुत्र रतनलाल
7. सरूपा उम्र 42 साल पुत्र नवल
8. जीतू उम्र 23 साल पुत्र राजाराम
9. हंसराम उर्फ हंसा उम्र 20 साल पुत्र राजाराम

समस्त जाति गुर्जर निवासीयान ग्राम आडी हूडपुरा तहसील व जिला करौली

अपीलांटान

बनाम

1. रजन सिंह रामदेव जाति गुर्जर निवासी आडी हूडपुरा तहसील व जिला करौली

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली
मु0न0 35/2013 निर्णय दिनांक 14.07.2015)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांटान की ओर से श्री राजूसिंह गुर्जर
2. रेस्पोडेंट की ओर से श्री विष्णुचन्द बंसल

निर्णय दिनांकः 20.01.2020

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर, करौली के मु0नं0 35/2013 निर्णय दिनांक 14.07.2015 के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो0/ वादी ने वाद पत्र 188 आर.टी.ए. इस आशय का पेश किया कि आराजीयात खसरा नम्बर 756/1 रकबा 4 बीघा भूमि वाके ग्राम आडी हुडपुरा तहसील करौली में स्थित है उक्त आराजी वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, लट्ठ के बल पर वादी की खातेदारी भूमि को हडपना चाहते है तथा कब्जे काश्त में व्ययधान करने पर आमदा है, वादी अपनी खातेदारी भूमि पर दिनांक 17.06.2013 को फसल काश्त करने के लिए सफाई करने को गया तो प्रतिवादीगण मौके पर लट्ठ लेकर आये और धमकी दी गई, यदि वादी की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा काश्त करने नहीं दिया तो हक हकूक वादी पर भारी आघात होगा और अपूर्णनीय क्षति व भारी असुविधा होगी। दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह विवादित आराजी खसरा नम्बर 756/1 रकबा 4 बीघा ग्राम आडी हूडपुरा तहसील करौली में वादी के कब्जे में कोई रूकावट व मदाखलत ना तो स्वयं करे ना किसी अन्य से करावे एवं वादी को शांति पूर्वक काश्त करने व फसल लेने में कोई दखल नहीं करे ना ही करावे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/रेस्पो0 का वादं पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंट को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषको की सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस अपील में बताया कि रेस्पो0/वादी ने झूठे तथ्यो पर दावा प्रस्तुत किया था अधिनस्थ न्यायालय ने मनमानी करके गलत तथ्यों पर निर्णय व डिक्री पारित की है क्योंकि उक्त प्रकरण में प्रकरण पहले से जवाब दावा प्रस्तुत करने वास्ते नियत चली आ रही है। कानूनन उक्त प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय को प्रकरण में अपीलांट/प्रतिवादीगण से जवाब लेना अति आवश्यक था इसलिए निर्णय गलत व काबिले निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 14.07.2015 को जबरदस्ती राजीनामा का दबाव बनाकर राजस्व लोक अदालत में गैरकानूनी एकतरफा में गैरहाजिर बताकर गलत एकतरफा निर्णय बिना सुने किया है। उक्त भूमि में से करीब एक बीघा भूमि में खसरा नम्बर 756/1 में अपीलांट/प्रतिवादी ने खरीफ की फसल की है बाकि जमीन आज भी मौके पर बीहड व 50–50 फुट गहरे–गहरे गड्डे नले है तथा 40–45 से अधिक पेड शीशम, छोडर, व बबूल के है। भूमि नाकाबिल काश्त बीहड है बीहड का आवंटन ही कानूनन गलत है। विवादित खसरा नम्बर 756/1 रकबा 4 बीघा भूमि से कभी कोई वास्ता रेस्पो0/वादी का नही रहा न कभी उसका आज तक कब्जा काश्त कभी नहीं रहा वास्तविकता यह है कि उक्त भूमि पर अपीलांट का पुश्तैनी कब्जा काश्त निरन्तर बिना रोक टोक के चला आ रहा है। रेस्पो0/वादी रजनसिंह ने फर्जी झूठे तथ्यों पर उक्त भूमि गैरमुमकिन बीहड को झूठे तथ्यो पर आवंटन समिति से आवंटन कराया है जिसमें आवंटन की शर्तो की पालना न करने के कारण सरकार की ओर से तहसीलदार करौली ने 14(4) भू राजस्व अधिनियम के तहत उक्त आवंटन निरस्ती का एक आवेदन न्यायालय ए.डी.एम. के यहॉ प्रस्तुत किया जिसे ए.डी.एम साहब ने आवंटन निरस्त कर दिया जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के यहॉ प्रस्तुत हुई। राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय के विरूद्ध भी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विशेष अपील स्पेशल विचाराधीन है। रेस्पो0 रजनसिंह पूर्व सैनिक था। आवंटन कि दिनांक के दौरान वह सेना में था उसकी और से आवंटन की दरखास्त भी फर्जी हस्ताक्षर बनाकर तत्कालीन सरपंच ने प्रस्तुत की, आवंटन प्रार्थना पत्र पर भी फर्जी आय मात्र 3000/– रूपये दर्शायी रजनसिंह के हस्ताक्षर भी फर्जी है एवं मात्र कुछ एक दो बीघा जमीन ही दर्शायी थी जबकि नियमानुसार उसको तत्कालीन समय वेतन ही 18000/– रूपये मिलती थी। आवंटन प्रार्थना पत्र में सूचनाए

अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner

गलत दर्ज की है। प्रकरण में विवादित आराजी पर मौके पर कभी रेस्पो0 का कब्जा काश्त नहीं रहा है। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना कुछ सुने निर्णय एक तरफा पारित किया है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा अदम हाजरी दिखाकर किया गया निर्णय व पारित की गयी डिक्री निरस्त फरमाया जाकर। अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे।

रेस्पो0 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस अपील में तर्क दिया कि आराजीयात खसरा नम्बर 756/1 रकबा 4 बीघा भूमि वाके ग्राम आडी हुडपुरा तहसील करौली में स्थित है उक्त आराजी वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, लट्ठ के बल पर वादी की खातेदारी भूमि को हडपना चाहते है तथा कब्जे काश्त में व्यधान करने पर आमदा है, वादी अपनी खातेदारी भूमि पर दिनांक 17.06.2013 को फसल काश्त करने के लिए सफाई करने को गया तो प्रतिवादीगण मौके पर लट्ठ लेकर आये और धमकी दी गई, यदि वादी की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा काश्त करने नहीं दिया तो हक हकूक वादी पर भारी आघात होगा और अपूर्णनीय क्षति व भारी असुविधा होगी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुरूप विवेचन करने के पश्चात ही विधि सम्मत निर्णय, पारित किया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय कानूनन एवं विधि के अनुरूप होने से अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस व तर्को पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन करने पर यह तथ्य सामने आये कि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2066 खतौनी सं0 133 के खसरा नम्बर 756/1 रकबा 4 बीघा बारानी–3 पर रजनसिंह पुत्र रामदेव गुर्जर सा0 देह ग्राम आडी हुडपुरा तहसील करौली के नाम अंकन है व खसरा गिरदावरी संवत् 2066 में रेस्पो0 द्वारा बाजरा काश्त करने की गिरदावरी दर्ज है जिससे स्पष्ट है कि रेस्पो0 विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार व कब्जा काश्त है। तहत न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय व डिक्री विधि सम्मत तरीके से पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने के कारण किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय का मु0नं0 35/2013 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.07.2015 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20-1-20

(बी.एल.रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2020.03.03 16:30:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: